न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री रिखबारामजी जाति-लुहार, हाल निवासी- 95 शिवनगर, घरवाला जाव, पाली, स्थाई निवासी-केराल, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही
2. राधेश्याम पुत्र स्व. रिखबारामजी, जाति- लुहार, हाल निवासी- 95 शिवनगर, घरवाला जाव. पाली, स्थाई निवासी-केराल, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरोही
3. किशोर कुमार पुत्र स्व. रिखबारामजी जाति-लुहार, हाल निवासी- 95 शिवनगर, घरवाला जाव, पाली, स्थाई निवासी-केराल, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
4. श्रीमती मंजुला पुत्र स्व. जवाहरजी पत्नी पुरुषोतमजी, जाति-लुहार, निवासी- चामुण्डेरी, तहसील-बाली, जिला-पाली
5. श्रीमति जमना पुत्री स्व. जवाहरजी पत्नी पारसमलजी, जाति-लुहार, निवासी- रामदेवजी मंदिर के पास, बिसलपुर, तहसील-बाली, जिला-पाली
6. श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. जवाहरजी पत्नी चम्पालाल जी जाति-लुहार, निवासी- नयाबेरा सांडेराव, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
7. छगन पुत्र स्व. जवाहरजी, जाति-लुहार, निवासी-केराल, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

1. गीता देवी पत्नी फुटरमलजी, जाति-लुहार, निवासी-केराल, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही
2. सरपंच, ग्राम पंचायत रोवाडा, तहसील- शिवगंज, जिला सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 86/2021

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या-1 (गीता देवी) की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 15 दिसम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा अप्रार्थी श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री फुटरमल, जाति- लुहार, निवासी- केराल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1065 वर्गफीट आवासीय भूमि का जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 13.8.2018 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के क्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी [illegible] ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं [illegible] लिखित जवाब प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:50 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज

किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने पर भी उपस्थित नहीं हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस दिनांक 10.12.2021 को सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी गीता देवी के ससुर स्वर्गीय जुआरज़ी पुत्र आदाजी के मालकी स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य का एक भूखण्ड मय मकान गांव-केराल, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरोही में आया हुआ है। उक्त मकान पुश्तैनी था जो प्रार्थीगण के पिता के मालकी स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य का था। इस भूखण्ड का नाप पूर्व-पश्चिम 60 फीट एवं उत्तर-दक्षिण 15 फीट है, जिसके पूर्व दिशा में खाली पडत जमीन, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में नाथूसिंह जी का मकान व दक्षिण में रगाराम जी लुहार का मकान है। प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय जुआरजी के 3 तीन पुत्र तथा 3 तीन पुत्रीया है जिनमें सबसे बड़े पुत्र रिकबारामजी थे जिनका वर्ष 2015 में स्वर्गवास हो गया है व रिकबाराम जी का परिवार पाली शहर में निवास करता है। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 के पति फुटरमलजी व छोटा पुत्र अप्रार्थी संख्या-7 छगन है तथा तीन बहन श्रीमती मंजुला, श्रीमती जमना व श्रीमती इन्द्रा है। उक्त पुश्तैनी मकान जिसका अभी तक जुआरजी के पुत्रों व पुत्रियों में आपस में बंटवाड नही हुआ है का ग्राम पंचायत, रोवाडा से मिलीभगत करके स्वयं के नाम से पट्टा संख्या 45 दिनांक 13.8.2018 को जारी करवाया दिया है, जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थीगण के उक्त पुश्तैनी आवासीय मकान में अलग अलग कमरे बने हुए है जिसमें प्रार्थीगण का सारा सामान पडा है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर निर्मित मकान स्वर्गीय जवारजी के मालकी स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य का था जिस पर अप्रार्थी गीता देवी का गत 50 वर्षो से पुराना कब्जा नही रहा है, बल्कि गीता देवी स्वर्गीय जवारजी की पुत्रवधु है जिसकी शादी हुये भी 50 वर्ष से ज्यादा समय नही हुआ है, फिर भी ग्राम पंचायत, रोवाडा ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या-1 के पति के संयुक्त स्वामित्व के पुश्तैनी मकान का गलत रुप से अप्रार्थी गीता देवी के नाम से पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, रोवाडा ने कोई जांच पडताल नही की तथा न ही संबंधित नियमों की पालना की है। प्रार्थीगण के पास उक्त आवासीय मकान के अलावा रहने हेतु अन्य कोई मकान नही है। प्रार्थीगण शादी व सारे संस्कार इसी मकान में कर रहे है जिसके अन्दर कमरों पर कब्जा व ताला लगा हुआ है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी गीता देवी द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसे रुकवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण को बहुविवाद में उलझना पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गीता देवी द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को मुल निगरानी आवेदन के निर्णय तक रोकने तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (गीता देवी) के विद्वान अधि[illegible] की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते [illegible] यह [illegible]त किया कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित आवासीय मकान स्व. [illegible] स्वामित्व एवं कब्जे का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:50 IST
Reason: SelfAttested

....पेज तीन पर

नही होकर अप्रार्थी गीता देवी व उसके पति के कब्जे अधिपत्य की है। जिस पर अप्रार्थी गीता देवी परिवार सहित निवास कर रही है और अप्रार्थी गीतादेवी का परिवार निवास करता आ रहा है तथा दोनो पुत्रों द्वारा पिता की देखरेख नहीं करने से स्वर्गीय जुहार जी भी अप्रार्थी गीता देवी के पति के साथ ही ज्यादातर समय रहते थे। प्रार्थीगण ने स्वर्गीय जुहार जी की कभी सार संभाल व भरण पोषण नहीं किया है। रिकबारामजी कई वर्ष पूर्व परिवार से अलग हो गये थे और उनका व्यापार पाली शहर में है और पिछले कई वर्षो से वह परिवार सहित पाली शहर में ही निवासरत है तथा प्रार्थी संख्या 1 से 3 का गांव केराल में आना जाना भी नही है तथा न ही उनका उक्त पट्टे की सम्पत्ति पर कभी कब्जा या आधिपत्य ही रहा है। प्रार्थी छगनलाल भी अपने पिता से कई वर्षो से अलग रहता है तथा बाहर रामसीन में व्यवसाय करता है और गांव केराल में हनुमानजी वाली गली में इनका मकान है उनका भी प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति से कोई लेना देना नही रहा है और न ही कब्जा अधिपत्य रहा है। प्रार्थी संख्या- 4, 5 व 6 स्वर्गीय जुहारजी की शादी शुदा पुत्रीयां है जो अपने-अपने ससुराल में निवासरत है उनका भी उक्त सम्पत्ति से कोई लेना देना नही है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पति अप्रार्थी गीता देवी के पति फुटरमल के पुराने कब्जे अधिकार व स्वामित्व की है तथा अप्रार्थी गीता देवी फुटरमल की पत्नी है। अप्रार्थी गीता देवी ने उक्त सम्पत्ति का नियमानुसार वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाया है तथा उस पर ऋण लेकर भूखण्ड पर पक्का भवन निर्माण कार्य करवाया है और उसमें परिवार सहित निवासरत है। फुटरमलजी पिछले कई वर्षो से परिवार सहित इसी भूखण्ड पर निवास करते आ रहे है। उक्त भूखण्ड पुश्तैनी सम्पत्ति नही है तथा उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1065 वर्गफिट होने से एक परिवार के निवास लायक ही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी गीता देवी को हैरान परेशान करने व उसकी सम्पत्ति को हड़पने की नियत से गलत कथन कर निगरानी आवेदन पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति पुश्तैनी होना व उसमें प्रार्थीगण का सामान पडा होने तथा बटवाड़ नहीं होने का कथन गलत है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति अप्रार्थी गीता देवी के पुराने मालकी, कब्जे एवं स्वामित्व की है तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा प्रश्नगत पट्टे का पंजीयन भी करवाया गया है। अप्रार्थी गीता देवी ने स्वयं के खर्च से ऋण लेकर बनाए गए पक्के मकान में निवासरत है। प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति व मकान पुश्तैनी नहीं होकर अप्रार्थी गीता देवी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे का है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी गीता देवी के पति फुटरमलजी की मानसिक स्थिति पिछले कुछ वर्षो से सही नहीं है और उनके दिमाग का ईलाज चल रहा है तथा पुत्र भरत देशावर प्राईवेट नौकरी करता है। ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा नियमानुसार पुराने आवासीय गृह का पट्टा अप्रार्थी गीता देवी के हक में जारी किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है। अप्रार्थी गीता देवी ने ऋण लेकर अपने पट्टा शुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाया है जिसे रुकवाने का प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। [illegible] पट्टे शुदा सम्पत्ति से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। यदि गलत तथ्यों [illegible] पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर निर्माण कार्य को रोका जा[illegible] अतुलनीय क्षति होगी।

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:50 IST
Reason: SelfAttested

a

जबकि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो प्रार्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में है। प्रार्थीगण के गांव में अन्य स्थान पर मकान है। अप्रार्थी गीता देवी के पट्टे की सम्पत्ति पर कभी भी कोई सामूहिक शादी व संस्कार के कार्यक्रम नहीं हुए हैं। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा अप्रार्थी गीता देवी पत्नि श्री फुटरमल लुहार, निवासी- केराल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1065 वर्गफीट आवासीय भूमि का जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 13.8.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यत: कथन यह है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड मय मकान प्रार्थीगण व अप्रार्थी गीता देवी के पति के पुश्तैनी स्वामित्व का है जो स्वर्गीय जुआर जी पुत्र आदाजी के मालकी स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य का था, जिसका आपसे में अभी तक बंटवाड नही हुआ है, फिर भी ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा जांच किये बिना ही अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में पट्टा संख्या 45 दिनांक 13.8.2018 को जारी कर दिया है एवं उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी गीता देवी द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जबकि अप्रार्थी गीता देवी का कथन है कि प्रश्नगत पट्टे की सम्पति पुश्तैनी सम्पति नही होकर अप्रार्थी गीता देवी के पति फुटरमल जी के कब्जे आधिपत्व व मालकी की है, जिसका ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में पट्टा जारी किया है तथा अप्रार्थी गीता देवी द्वारा ऋण लेकर अपने पट्टा शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की सम्पति अप्रार्थी गीता देवी की या उसके पति फुटरमल की नही होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी गीता देवी के पति फुटरमल की संयुक्त पुश्तैनी स्वामित्व की हो। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में है तथा यदि अप्रार्थी गीता देवी को उसके पट्टे शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी गीता देवी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:50 IST
Reason: SelfAttested